(128)

माननीय न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर बेंच उज्जैन (म.प्र)

प्रकरण क्र. – /निगरानी/16–17 R 1067-PBR-17

1. रामबाबु पिता स्व. शंकरलाल जी जोशी,
2. ओमप्रकाश पिता स्व. नन्दकिशोर जोशी
3. बाबुलाल पिता स्व. नन्दकिशोर जोशी
4. राजेन्द्र पिता स्व. नन्दकिशोर जोशी
5. धर्मेन्द्र पिता स्व. नन्दकिशोर जोशी

निवासी एवं कृषक ग्राम मोलगा, तहसील तराना जिला उज्जैन (म.प्र)

.....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. नरेन्द्रसिंह पिता शेरसिंह,
2. महेन्द्र पिता सत्यनारायण
3. राहुल पिता विनोद
4. मनोज पिता राजाराम

निवासीगण ग्राम भैरवाखेड़ी तह. टोंकखुर्द जिला देवास म.प्र.

5. संतोष पिता कुंवरजीत, निवासी सिकनखेड़ी तहसील सोनकच्छ जिला देवास (म.प्र)

.....प्रत्यर्थीगण

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 (1 क,ख,ग) म.प्र.भू.रा.संहिता राजस्व निरिक्षक वृत्त क्र. 2 तराना जिला उज्जैन द्वारा प्र.क्र. 107/अ–12/2016–17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 14.01.17 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत,</u>

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता प्रार्थीगण की ओर से निम्नलिखित आवेदन पत्र सादर प्रस्तुत है :–

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य</u>

01. यह कि, प्रार्थीगण के पिता स्व. नन्दकिशोर जी जोशी व स्व.शंकरलाल जी जोशी व उनकी भुआ मॉ स्व. नाथी बाई के वारिसान स्व. सदाशिव जी व्यास के पुत्र प्रतिवादी क्र. 1 व 2 के संयुक्त स्वामित्व की कृषि भूमि ग्राम मोलगा पटवारी हल्का नंबर 44 नया 99 में सर्वे क्र. 62 रकबा 0.13, सर्वे क्र. 101 रकबा 3.79, 106 रकबा 4.05, 128 रकबा 0.77, 129 रकबा 0.25, 131 रकबा 0.20, 157/1 रकबा 0.50, 132 रकबा 0.33, 133, रकबा 0.34, 134 रकबा 0.26, 150 रकबा 3.03, 151 रकबा 0.95, 152 रकबा 0.14, 153 रकबा 0.12, 154 रकबा 0.42, 211 रकबा 0.77, 212 रकबा 3.33, 217 रकबा 0.13, सर्वे नंबर 225 रकबा 6.36, 319 रकबा 5.67,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1067–पीबीआर/17 जिला उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24–5–2017	आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश दिनांक 14–1–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन इस आधार पर करने से इंकार किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि के आस–पास किसानों की फसल खड़ी हे और फसल कटने के बाद ही सीमांकन संभव है, जिसमें प्रथमदृष्टया किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	